<u>महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम</u> <u>OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II)</u> <u>KERALA, THIRUVANANTHAPURAM</u>

स. लेप. 11/एपीसीसी/लेखापरीक्षा/2025-26 No. Au. II/APCC/Audit/2025-26

दिनांक/Date: 28.05.2025

<u> परिपत्र/CIRCULAR No.17</u>

विषय: लेखापरीक्षा और वृत्तिक प्रथाओं को मजबूत करने के लिए प्रमुख कार्य बिंदु । Sub: Key Action Points to Strengthen Audit and Professional Practices.

अप्रैल 2025 में भारत के नि.मलेप कार्यालय में 'Breaking Silos – Fostering Synergies: C&AG's Strategic Leadership Conclave' शीर्षक से एक सम्मेलन आयोजित किया गया था । निष्पादन लेखापरीक्षा/ विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा/ निरीक्षण रिपोर्ट आदि से संबंधित लेखापरीक्षा और वृत्तिक प्रथाओं को मजबूत करने के लिए सम्मेलन में सामने आए निम्नलिखित प्रमुख कार्य बिंदु मार्गदर्शन और अनुपालन हेतु नीचे सूचीबद्ध हैं:

A conclave titled 'Breaking Silos – Fostering Synergies: C&AG's Strategic Leadership Conclave' was held at the Office of the CAG of India in April 2025. The following key action points that emanated in the conclave for strengthening audit and professional practices related to Performance Audit/ Subject Specific Compliance Audits/ Inspection Reports etc. are listed below for guidance and compliance:

अ. निष्पादन लेखापरीक्षा और विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा

A. Performance Audit and Subject Specific Compliance Audits

- i. लेखापरीक्षा उद्देश्य सामान्यतः तीन से अधिक नहीं होने चाहिए । The Audit objectives should not generally exceed three.
- ii. लेखापरीक्षा का दायरा संकीर्ण तथा तीव्र-फोकस वाला होना चाहिए। क्षेत्र में लगभग पांच महीने के निर्धारित समय के भीतर निष्पादन लेखापरीक्षा समाप्त हो जाए यह सुनिश्चित करने के लिए सैंपल साइज को सावधानीपूर्वक तय किया जाना चाहिए। The audit scope should be narrower with sharp focus. The sample size should be carefully decided to ensure that performance audits are finished within the stipulated time of about five months in the field.
- iii. लेखापरीक्षा डिजाइन मैट्रिक्स को अधिक सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए, निष्पादन संबंधी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित तथा प्रत्येक स्तर पर प्रश्नों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए (आदर्श रूप से दस से अधिक नहीं) ।

Audit Design Matrix must be prepared with greater care, focus on performance issues and the number of questions at each level should be minimal (ideally not more than ten).

iv. लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करना, ताकि लेखापरीक्षा से संबंधित प्रासंगिक क्षेत्र या डोमेन में परिवर्तनों और पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, तथा कार्यकारी से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जा सकें, जिससे हितधारकों को प्रदान किए जाने वाले मूल्य में वृद्धि हो सके।

Ensure stakeholder engagement at each stage of the audit process to raise awareness of changes and initiatives within the relevant area or domain of audit concern, and obtain responses from the executive, thereby enhancing the value delivered to stakeholders.

v. लेखापरीक्षिती के विचारों का उचित समावेश सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा रिपोर्टिंग संतुलित होनी चाहिए । लेखापरीक्षा में देखी गई अच्छी प्रथाओं को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए ।

Appropriate incorporation of the views of the auditee must be ensured and reporting should be balanced. Good practices noticed in audit must figure in the audit report.

- vi. रिपोर्ट का मसौदा तैयार करते समय स्पष्टता, संक्षिप्तता और सटीकता होनी चाहिए तथा सिफारिशें रचनात्मक और कार्यान्वयन योग्य होनी चाहिए। There should be clarity, brevity and accuracy in drafting reports and the recommendations should be constructive and implementable.
- vii. लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए। The timeliness and quality of Audit Reports should be ensured.
- viii. प्रत्येक निष्पादन लेखापरीक्षा/विषय विशेष लेखापरीक्षा में एक अनुलग्नक शामिल होना चाहिए, जिसमें विषय के चयन, मूल अध्ययन, प्रवेश सम्मेलन, निकास सम्मेलन और पिछली रिपोर्टों की सिफारिशों के कार्यान्वयन में किए गए प्रयासों के दौरान विभिन्न हितधारकों (विभागीय पदाधिकारी, सार्वजनिक हित समूह, डोमेन/विषय वस्तु विशेषज्ञ) के साथ जुड़ाव के संबंध में विवरण शामिल हो।

Each Performance Audit/ Subject Specific Audit must contain an annexure covering details with respect to engagement with various stakeholders (departmental officials, Public interest group, domain/ subject matter experts) during selection of topic, pilot study, entry conference, exit conference and efforts made in implementation of previous reports recommendations etc.

ब. अनुपालन लेखापरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट ।

B. Compliance Audit and Inspection Reports.

निरीक्षण रिपोर्ट लेखापरीक्षा के अंतिम दिन से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत और जारी की जानी चाहिए । उपरोक्त कार्रवाई योग्य बिंदुओं को सूचित किया जाए और तिमाही बैठक में उन पर चर्चा भी की जाए।

Inspection Reports should be submitted and issued within 30 days from the last day of the audit. The above actionable points may be communicated and may also be discussed in the Quarterly

Meeting.

(महालेखाकार के दिनांक 27.05.2025 के आदेशानुसार / Vide orders dated 27.05.2025 of AG)

वरि. उप महालेखाकार (प्रशा. व एएमजी D Sr. Deputy Accountant General (Admin & AMG I)

सेवा में/ То,

- 1. समूह अधिकारीगण (एएमजी I, II, III) Group Officers (AMG I, II, III)
- 2. म.ले. के सचिव / Secretary to AG